

प्रेषक,

रविकान्त-III,

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0 01, आगरा।

सेवा में,

श्रीमान महानिबंधक,

माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद,

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
आगरा।

विषय: नियम 24 उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी आचरण नियम 1956 व नियम 425 सामान्य नियम व्यवहार 1957 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 एवं 2021-2022 का चल अचल सम्पत्ति का विवरण भेजे जाने के संबंध में।

महोदय,


ससम्मान निवेदन करना है कि प्रार्थी वित्तीय वर्ष 2020-2021 एवं 2021-2022 के लिए अपना चल अचल सम्पत्ति का सम्पूर्ण विवरण इस पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में माननीय न्यायालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर रहा है।

गत वर्ष प्रार्थी का स्थानांतरण होने व कार्य अधिक होने व समयभाव होने के कारण उक्त विवरण समय से नहीं भेज सका था जिसके लिए प्रार्थी क्षमा प्रार्थी है। प्रार्थी आश्वासन देता है कि भविष्य में ऐसी गलती की पुनरावृत्ति नहीं होगी। भविष्य में समय से विवरण प्रेषित किया जायेगा।

सादर!

दिनांक: 29-02-2024

प्रार्थी



(रविकान्त-III)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0 01, आगरा।

संलग्नक-

वित्तीय वर्ष 2020-2021 व 2021-2022

- 1- चल सम्पत्ति का विवरण पत्र
- 2- अचल सम्पत्ति का विवरण पत्र
- 3- भूमि का विवरण पत्र